खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय,
"घ" खण्ड, विन्ध्याचल भवन, भोपाल-मध्यप्रदेश

क्रमांक 4886 /खाद्य/2016 भोपाल, दिनांक 30 जनवरी, 2015 1/2/16

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषय- पेट्रोल/डीजल पम्पों से हेलमेट लगाने वाले दो पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल प्रदाय करने बाबत्।

संदर्भ- संचालनालयीन पत्र क्र. 7399/खाद्य/2015 दिनांक 19.03.2015

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन हो जिसमें दो पहिया वाहन चालकों से संबंधित सड़क दुर्घटनाओं में बिना हेलमेट लगाए चालकों को गंभीर चोट/शारीरिक अपंगता/मृत्यु की संभावना अधिक होने को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे दो पहिया वाहन चालकों की हेलमेट लगाए बिना ही वाहन चलाने की प्रवृत्ति पर सख्ती से रोक लगाए जाने हेतु मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1980 की धारा 10 के अंतर्गत समस्त पेट्रोल/डीजल पम्पों के अनुज्ञप्तिधारियों को दो पहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट लगाकर वाहन लेकर आने पर ही उन्हें पेट्रोल प्रदाय किए जाने के निर्देश दिए गए थे।

उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर में प्रस्तुत रिट पिटीशन क्र. 2213/2015 श्री सौरभ मिश्रा विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन में दिनांक 06.04.2015 को दिए गए स्थगन आदेश एवं जनहित याचिका क्र. 2408/2015, 2411/2015 एवं 2472/2015 में माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर द्वारा पारित अंतिम आदेश दिनांक 25.01.2016 (संलग्न) में उक्त समस्त याचिकाओं को निरस्त किया गया है।

अतः मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1980 की धारा 10 के अंतर्गत समस्त पेट्रोल/डीजल पम्पों के अनुज्ञप्तिधारियों को दो पहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट लगाकर वाहन लेकर आने पर ही उन्हें पेट्रोल प्रदाय कराया जाए। इस हेतु जारी किए जाने वाले आदेश का उल्लंघन आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

दो पहिया वाहन चालकों को उक्त जानकारी हेतु पेट्रोल/डीजल पम्पों के परिसर में इस प्रकार की सूचना के बड़े-बड़े अक्षरों में बैनर लगाए जाएं। कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

01/02/2016

आयुक्त,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,
मध्यप्रदेश, भोपाल.